



विषय:-

Guidelines for implementation of National Food Security Mission (CC) Sugarcane scheme for the year 2022-23

कृप्या अधिकारीगण विठि पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो कि अतिरिक्त निदेशक (सामान्य) से प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने वर्ष 2022-23 में NFSM (C.C.) Sugarcane स्कीम की स्वीकृत Action Plan (अनुलंगनका पर) भेजी है जिसके अनुरूप वर्ष 2022-23 में NFSM (C.C.) Sugarcane स्कीम में मदवार लागू करने के लिए स्कीम के दिशानिर्देश, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य व किसानों के लिए प्रार्थना पत्र का प्रारूप एवं दिशा निर्देश का प्रारूप निम्न प्रकार है:-

Demonstrations on inter cropping with Sugarcane, Tissue Culture, and State Level Training Programme मदों में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य नीचे दिए गए है। **Demonstration intercropping with Sugarcane** मद के लिए आवेदन किसानों द्वारा ऑनलाइन कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वैबसाईट www.agriharyana.gov.in में Agri. scheme Governance link पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

1 Demonstrations on inter cropping with Sugarcane:-

वर्ष 2022-23 के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत Demonstrations on inter cropping with Sugarcane मद में 9000 रुपये प्रति एकड़ का प्रावधान है। जिसमें 8000 रुपये का Input दिया जाना है तथा शेष 1000 रुपये Contingency के लिए प्रावधान हैं। वर्ष 2022-23 में उक्त स्कीम में प्रदर्शन प्लाटों का भौतिक लक्ष्य 260 हेक्टेयर व वित्तीय लक्ष्य 23.40 लाख रुपये रखा गया है। उक्त प्रदर्शन प्लाटो का आयोजन चौ० चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविधालय, हिसार की सिफारिशों के अनुसार किया जाएँगा। प्रदर्शन प्लाटों के लिए इनपुट हेतु सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) से परामर्श करते हुए किसान अपनी आवश्यकता अनुसार/मांग अनुसार राज्य में सरकारी/अर्ध सरकारी/एनोजीओ या राज्य में किसी भी लाईसेंस धारक Cooperative Society या किसी लाईसेंस होल्डर/authorized dealer से कृषि सामग्री चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। खरीदे गए इनपुट की रसीद किसान द्वारा सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी। सहायक गन्ना विकास अधिकारी द्वारा किसान को राशि ढी०बीटी० द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।



2. Supply of Tissue Culture

उन्नत तरीके से रोग रहित गन्ने के बीज को Tissue Culture विधि से तैयार की गई seedlings को 3.5/- रुपये प्रति seedlings की दर से दिया जाएँगा तथा एक किसान को अधिक से अधिक एक करनाल के लिए seedlings दिया जायेगा। 3.5/- रुपये के अतिरिक्त जो लागत होगी वह किसान द्वारा वहन की जाएगी। इसके लिए चीनी मिल करनाल में स्थित Tissue Culture Lab को 34286 प्लांटलैट्स हेतु 1.20 लाख रुपये की धन राशि सहायक गन्ना विकास अधिकारी, करनाल के माध्यम से चीनी मिल करनाल को उपलब्ध करवाई जाएगी। उपरोक्त सभी लक्ष्य सहायक गन्ना विकास अधिकारी करनाल को अलॉट किए गए हैं। उक्त seedlings को प्राप्त करने हेतु राज्य की विभिन्न चीनी मिलों के क्षेत्र का प्रत्येक इच्छुक गन्ना उत्पादक किसान पात्र है तथा इच्छुक किसान अपने क्षेत्र के सहायक गन्ना विकास अधिकारी या सम्बन्धित चीनी मिल या सहकारी चीनी मिल करनाल से इस बारे सम्पर्क करते हुए भी seedlings को प्राप्त करने बारे जानकारी प्राप्त कर सकता है। सहकारी चीनी मिल करनाल द्वारा किसानों को seedlings वितरित करने उपरान्त पूर्ण ब्यौरा बिल इत्यादि सहित तुरन्त सहायक गन्ना विकास अधिकारी करनाल को उपलब्ध कराया जाएँगा, तत्पश्चात सहायक गन्ना विकास अधिकारी करनाल द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन करने उपरान्त, बिल भुगतान हेतु बिल उप कृषि निदेशक, करनाल को भेजेगा उसके बाद उप कृषि निदेशक करनाल उपरोक्त चीनी मिल के खाते में डी०बी०टी के माध्यम से अलॉट कर दी जाएगी। योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू की जाएगी।

3. State level training programme:-

इस मद के अन्तर्गत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जिसमें प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 20 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लेना है। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 40,000/- रुपये का प्रावधान है। भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 3-1/2017-सी०वी०-आई०वी० दिनांक 28.02.2018 के अनुसार State level training programme मद की implementing agency SDA (राज्य कृषि विभाग) को बनाया है (पताका 'क')। इसलिए उक्त ट्रैनिंग का आयोजन सहायक गन्ना विकास अधिकारी, करनाल द्वारा कराया जाएगा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की सभी आवश्यक व्यवस्था चौ० चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, उचानी करनाल के संस्थान में करवाई जा सकती है। सहायक गन्ना विकास अधिकारी, करनाल द्वारा गन्ना अनुसंधान संस्थान उचानी करनाल के



वैज्ञानिकों से मिलकर स्कीम की गाईडलाइन के अनुसार खर्च का विवरण कार्यक्रम की तिथि व रूप रेखा तैयार करके इस कार्यालय को भेजा जाएगा तथा उक्त कार्यक्रम में खर्च होने वाली राशि सहायक गन्ना विकास अधिकारी, करनाल द्वारा सम्बन्धित को दी जाएगी।

4. Committed liabilities of the year 2020-21 and 2021-22

इस मद के अन्तर्गत सभी सहायक गन्ना विकास अधिकारियों द्वारा पूर्व वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में प्रतिबद्ध देनदारी के कुल रूपये 24.07669 लाख है जो कि सभी सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारियों की मांग के अनुसार तैयार किया गया है। अतः यह राशि स्कीम के बकाया राशि के भुगतान करने के लिए वर्ष 2022-23 में पैंडिग लाईबिलिटी के रूप में निकाले जाना प्रस्तावित है। विवरण निम्नानुसार है:-

Final ACDO wise Pending Liability under the NFSM(CC) scheme for the year 2020-21 and 2021-22

S. No	District	Name of ACDO	PL of Gen for 2020-21	PL of Gen for 2021-22	Total PL of Gen (2020-21 & 2021-22)	PL of SC for 2020-21	PL of SC for 2021-22	Total PL of SC (2020-21 & 2021-22)	Grand Total of PL (Gen + SC)
			Rs. In lacs	Rs. In lacs	Rs. In lacs	Rs. In lacs	Rs. In lacs	Rs. In lacs	Rs. In lacs
1	Panipat	Panipat	0.96	1.08	2.04	0	0	0	2.04
2	Rohtak	Rohtak	0	0	0	0	0	0	0
3	Karnal	Karnal	0.4	1.8	2.2	0	0	0	2.2
4	Sonipat	Sonipat	0.35069	1.152	1.50269	0	0	0	1.50269
5	Kurukshetra	Shahabad	0.352	1.328	1.68	0	0	0	1.68
6	Jind	Jind	1.04	1.35	2.39	0.008	0	0.008	2.398
7	Palwal	Palwal	0	0	0	0	0	0	0
8	Rohtak	Meham	0	0.288	0.288	0	0	0	0.288
9	Kaithal	Kaithal	1.08	1.08	2.16	0.27	0.27	0.54	2.7
10	Sonipat	Gohana	0.48	0.96	1.44	0	0	0	1.44
11	Karnal	Assandh	1.92	1.35	3.27	0	0	0	3.27
12	Y.Nagar	Y.Nagar	1.984	1.566	3.55	0	0	0	3.55
13	Ambala	N.Garh	0	1.26	1.26	0	0	0	1.26
14	Karnal	Bhadson	0.548	1.2	1.748	0	0	0	1.748
15	Fatehabad	Bhuna	0	0	0	0	0	0	0
			9.11469	14.414	23.52869	0.278	0.27	0.548	24.07669



सहायक गन्ना विकास अधिकारीवार व मदवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार प्रस्तावित है:- 2022-23.

Sr. No.	Name of ACDO's	Demonstration on intercropping with sugarcane Rs 9000 per hect. (Rs. 8000 for input & Rs.1000 for contingency)				State level training programme (20 official × 2 days) (Rs. 40,000 per training)	Supply of Tissue culture plant lets(Rs. 3.5 per seedling)	Total			
		Gen.		SC							
		Phy. (in hect.) (Gen)	Fin. (Rs. in lac)	Phy. (in hect.) (SC)	Fin. (Rs. in lac)						
1.	Panipat	12	1.08	3	0.27				1.35		
2.	Rohtak	12	1.08	3	0.27				1.35		
3.	Karnal	16	1.44	4	0.36	1	0.4	34286	1.2	3.40	
4.	Sonipat	12	1.08	3	0.27				1.35		
5.	Shahabad	16	1.44	4	0.36				1.80		
6.	Jind	12	1.08	3	0.27				1.35		
7.	Palwal	12	1.08	3	0.27				1.35		
8.	Meham	12	1.08	3	0.27				1.35		
9.	Kaithal	12	1.08	3	0.27				1.35		
10.	Gohana	12	1.08	3	0.27				1.35		
11.	Assandh	12	1.08	3	0.27				1.35		
12.	Y.Nagar	32	2.88	8	0.72				3.60		
13.	Naraingarh	12	1.08	3	0.27				1.35		
14.	Bhadson	12	1.08	3	0.27				1.35		
15.	Bhuna	12	1.08	3	0.27				1.35		
	Total	208	18.72	52	4.68	1	0.4	34286	1.2	25.00	

Guidelines for organizing demonstrations/ implementations of scheme are detailed below:-

1. Online registration of farmers will be done at Agri scheme Governance link of website www.agriharyana.gov.in developed by HKCL by the farmers himself or will submit the application form to the concerned ADO(Cane)/ACDO office for further onlining their application form.
2. The list of beneficiaries is required to be prepared on the basis of PM Kisan Data and other data available with the department.
3. The online registration will be open from 15.10.2022 to 30.11.2022.
4. For the implementation of conducting the demonstrations the beneficiaries should have following eligibility criteria:-
 - (a) He should not be guilty of burning of crop residues.
 - (b) He should have soil health card.



5. The complete record will be maintained in the separate register in the prescribed proforma:-

क्र०स०	किसान का नाम	मद	गन्ने अधीन क्षेत्र (एकड़)	खेत के भौतिक निरीक्षण की तिथि	अनुदान राशि	डी०बी०टी० संख्या दिनांक सहित
1	2	3	4	5	6	7

6. One farmer/PPP will be given assistance under one component only wherein inputs are to be provided.
7. One farmer/PPP should not be given benefits for more than 2 acre.
8. Subsidy/assistance amount as prescribed under different components of the scheme will be given through DBT and farmers are free to purchase agriculture inputs from Government/Semi Government/NGO, CCS HAU, IFFCO, KRIBHCO or any licence holder/authorized dealer in the State pertaining to agricultural inputs.

The farmers will submit the 'receipt'/ bill on account of the machine hired for sowing/ plantation purpose, labour and the inputs purchased by him, to the office of concerned ACDO /ADO (Cane). The amount will be disbursed to the concerned farmer through DBT after the verification of Agriculture Development Officer (cane).

9. The Assistance will be provided to those farmers who will plant only notified/recommended varieties of sugarcane.
10. Full package and practice may be told to the farmers and same be adopted for organizing these demonstrations. All the demonstrations should be conducted under supervision of concerned Agriculture Development Officer (Cane) and he will maintain complete record in a separate register which may include name of farmer, date of sowing & agriculture practices adopted etc., from sowing to harvesting time, and the results of each demonstrations. Check field is also to be selected and all observations are to be recorded for comparison of demonstrations. The results of each demonstration are also to be sent to this office by the concerned ACDO.



11. The concerned ACDO will ensure that all the demonstrations be properly and regularly monitored by the Agriculture Scientist(s) of the KVK situated in their respective area.
12. 20 percent benefit is available for schedule caste 30 percent for woman farmer & 33 percent for small & marginal farmers and remaining 17% will be available for general farmers.
13. Selection of farmers will be done on first come first basis. In case the selected farmer does not purchase the inputs/material within 10 days, the opportunity may be provided to the next applicant farmer(s).
14. 100% verification of the farmer will be done by the concerned Agriculture Development Officer (Cane) or the officers whose duty is assigned for this purpose.
15. At least 10% and 5% verification of the farmers will be done by the concerned Assistant Cane Development Officer and a team comprising concerned DDA & SDAO/APPO respectively.
16. Random verification will also be done by the Head Quarter officers as per the duty assigned to them.
17. The complete detail of beneficiaries will be submitted to the office of Additional Cane Commissioner, Haryana Panchkula duly filled in prescribed format soon after the completion of registration and verification of farmers.
18. In case of Tenants, the assistance will be provided subject to the condition that tenants will submit the lease agreement between him and land owner.
19. Farmer will submit the bill to concerned ADO/ACDO office then ACDO after physical verification submit the bill to concerned DDA. The DDAs shall

Beneficiaries name	Father/Husband Name	Village	No. of farmers/beneficiaries details						
			Small	Marginal	SC	ST	Women	SHG/Coop/others	Total



disburse the amount of assistance from the PFMS to the concerned beneficiaries through DBT.

20. Concerned ACDO will give wide publicity of the each component and the assistance/inputs to be provided under the scheme in local news papers at least two to three time.
21. No need of online registration under component tissue culture and state level training programme.



इसके अतिरिक्त Demonstrations on inter cropping with Sugarcane मद के अन्तर्गत प्रदर्शन प्लाट लगवाने हेतु प्रार्थना पत्र तथा किसानों हेतु दिशा-निर्देश का प्रारूप तैयार कर दिया गया है। जिसका विवरण निचे दिया गया है। ये विवरण पी0एम0यू0 को कृषि तथा किसान कल्याण हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in किसान सुविधा पोर्टल पर लागू करने हेतु भेजे जाने हैं।

उक्त मद के लिए सहायक गन्ना विकास अधिकारी-वार भौतिक लक्ष्य, ऑनलाईन रजिस्ट्रैशन आवेदन पत्र व दिशानिर्देश पी0एम0यू0 को कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in किसान सुविधा पोर्टल पर लागू करने बारे भेजे जाने हैं, जो निम्न प्रकार है:-

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गन्ना NFSM (CC-Sugarcane) के तहत कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में Demonstrations on intercropping with sugarcane मद में प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु किसानों को इनपुट खरीदने के लिए अनुदान के रूप में 3200/- रुपये प्रति एकड़ की दर से दिए जाएँगे। गन्ने की नोटिफाईड/सिफारिश की गई किस्मों की बिजाई की जाएगी।

उक्त मद में अनुदान लेने के इच्छुक किसान कृषि एंव किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in पर अपना आवेदन दिनांक 15.10.2022 से 30.11.2022 तक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी के कार्यालय में भी सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रार्थना पत्र का प्रारूप

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गन्ना स्कीम 2022-23 के तहत Demonstration on intercropping with sugarcane के लिए कृषि सामग्री खरीदने हेतु अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र:-

1	किसान का नाम:-
2	पिता/पति का नाम:-
3	माता का नाम:-
4	श्रेणी (सामान्य/पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति):-
5	परिवार पहचान पत्र:-



6	आधार कार्ड संख्या:-		
7	मतदाता पहचान कार्ड संख्या:-		
8	पता:- क) गांव:- ग) तहसील:- ड) पिन कोड़:-	ख) खण्ड़:- घ) जिला:- च) मोबाईल नं.:-	
9	जमीन का विवरण (कुल रक्खा) :-		
10	गन्ने की बिजाई क्षेत्र (एकड़ में) :-		
11	Demonstration on inter cropping with sugarcane (एकड़ में) :-		
12	सह फसल का नाम:-		
13	सहायक गन्ना विकास अधिकारी के कार्यालय का नाम :-		
14	बैंक खाता का विवरण:- (क) बैंक का नाम:- (ख) ब्रांच का नाम:- (ग) खाता संख्या:- (घ) IFSC कोड़		

तिथि:-

किसान का हस्ताक्षर / अंगूठा चिन्ह

किसान हेतु विशेष दिशा-निर्देश:-

1. गन्ने के साथ मिश्रित फसल उगाने के लिए अधिकतम 3200/- रुपये प्रति एकड़ इनपुट खरीदने के लिए अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
2. एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ गन्ने की बिजाई के लिए अनुदान दिया जाएगा।
3. किसान को किसी एक मद के अन्तर्गत ही लाभ दिया जाएगा।
4. योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू की जाएगी।
5. गन्ने की नोटिफाईड/सिफारिश की गई किस्मों की बिजाई पर ही लाभ दिया जाएगा।
6. तकनीकी व अन्य जानकारी के लिए आप अपने सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी से सम्पर्क करें तथा प्रदर्शन प्लाट सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की देखरेख में लगाए जाएँगे।
7. ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि 15.10.2022 से दिनांक 30.11.2022 तक है।
8. किसान राज्य में Government/Semi Government/NGO/ Cooperative Societies/Authorized Dealers से कृषि सामग्री CCSHAU Hisar की समग्र सिफारिशों के अनुसार चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।
9. प्रदर्शनों के संचालन के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होने चाहिए:-



CFMS
28/11

Level
WJDGA

- (अ) वह फसल अवशेषों को जलाने का दोषी ना हो।
(ब) वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।

Tissue Culture Plantlets and State Level Training Programme
मदो के लिए ऑनलाईन आवेदन की आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्ष की भाँति किसानों के लिए प्रार्थना पत्र व दिशानिर्देश तैयार कर दिए गए हैं।

यदि उचित समझें तो स्कीम को लागू करने हेतु बनाए गए दिशा-निर्देश, किसानों हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप व दिशा-निर्देश तथा सहायक गन्ना विकास अधिकारी वार, मदवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को अनुमोदन करने का कष्ट करें।

उक्त के साथ-2 निम्नलिखित प्रस्ताव गन्ना आयुक्त महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

1. स्कीम के मदवार भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य जिसका विवरण नोटिंग संख्या 32 पर है। अनुमोदनार्थ
2. **National Food Security Mission (CC) Sugarcane 2022-23** को लागू करने के लिए सहायक गन्ना विकास अधिकारियों हेतु दिशा-निर्देश पूर्व नोटिंग पृष्ठ संख्या 32 से 35 पर है। अनुमोदनार्थ
3. **National Food Security Mission (CC) Sugarcane 2022-23** के मद में प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु किसानों के लिए प्रार्थना पत्र व दिशा-निर्देश (विवरण पूर्व नोटिंग पृष्ठ संख्या 36 से 38 पर), अनुमोदनार्थ।
4. समाचार पत्रों में विज्ञापन देने हेतु पत्र प्रारूप व एच०क०सी०एल० को उक्त मद के भौतक लक्ष्य भेजने हेतु प्रारूप जो नीचे रखे हैं, अनुमोदनार्थ।

कृपया अधिकारीगण मामले बारे सम्पूर्ण विवरण का अवलोकन कर लेवे तथा यदि सहमत हो तो मामला गन्ना आयुक्त महोदय के कृपा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें।

आदेशार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Vijay Kumar
TA-1 22/9/22

AS (Agnij) Submitted for approval
as at 'A'
PL 30/9/2022

Q
4-10-22

AN (Agnij) PL 11/10/2022

Dr. Hardeep S.
R.G. Agnihotri

TA-E

Vijay Kumar
6/10/2022